15

शिक्षा समाज कल्याण मंत्रालय
(भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग)
अधिसूचना

नई दिल्ली, दिनांक 31 अगस्त 1973

सा.का.नि. 405 (अ.) - पुरावशेष तथा बहुमूल्य कलाकृति अधिनियम, 1972 (1972 का 52) की धारा 31 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् -

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ -

(1) इन नियमों का नाम **पुरावशेष तथा बहुमूल्य कलाकृति नियम, 1973 है।**

(2) ये राज्य में उस तारीख को प्रवृत्त होंगे जिसको अधिनियम उस राज्य में प्रवृत्त होता है।

2. परिभाषाएं -

(क) 'अधिनियम' से पुरावशेष तथा बहुमूल्य कलाकृति अधिनियम, 1972 अभिप्रेत है;

(ख) 'प्ररूप' से इन नियमों में संलग्न प्ररूप अभिप्रेत है,

(ग) 'अनुज्ञप्तिधारी' से इस अधिनियम के अधीन अनुदत्त अनुज्ञप्ति का कोई धारक अभिप्रेत है,

(घ) 'धारा' से इस अधिनियम की धारा अभिप्रेत है।

3. वह प्राधिकारी जो धारा 3 की उपधारा (2) के अधीन परमिट देने के लिये सक्षम है - महानिदेशक किसी पुरावशेष या बहुमूल्य कलाकृति के निर्यात के लिये धारा 3 के अधीन परमिट देने के लिये सक्षम प्राधिकारी होगा।

स्पष्टीकरण - इस नियम के प्रयोजनों के लिये 'महानिदेशक' पद से भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का महानिदेशक अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत अन्य कोई अधिकारी आता है जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के निदेशक से निम्न पंक्ति का न हो।

4. पुरावशेष के विक्रय का कारबार करने की अनुज्ञप्ति के लिये आवेदन का प्रारूप -पुरावशेष के विक्रय या विक्रय की प्रस्थापना का कारबार करने के बारे में अनुज्ञप्ति के लिये प्रत्येक आवेदन प्ररूप I में किया जाएगा और कि आवेदित अनुज्ञप्ति के लिये फीस दे दी गई है इसके साथ ही सौ रुपये का चालान लगाया जाएगा।

5. धारा 8 की उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञप्ति अनुदत्त करना - (1) पुरावशेष के विक्रय या विक्रय की प्रस्थापना का कारबार करने के बारे में अनुज्ञप्ति के लिये आवेदन प्राप्त होने पर, अनुज्ञप्ति देने वाला आफिसर धारा 8 की उपधारा (1) के खण्ड (क), (ख) और (ग) में वर्णित बातों पर विचार करने के अतिरिक्त आवेदन के सद्भाव पूर्ण आशय पर विचार करेगा और यदि ऐसे आशय के बारे में उसका समाधान हो जाता है तो वह प्ररूप II में आवेदन को अनुज्ञप्ति अनुदत्त कर सकेगा,

(2) उप नियम (1) के अधीन अनुदत्त प्रत्येक अनुज्ञप्ति ऐसी तीन वर्ष से अनधिक अवधि के लिये विधिमान्य होगी जो अनुज्ञप्ति अनुदत किये जाने की तारीख से अनुज्ञप्ति देने वाले अधिकारी द्वारा अनुज्ञप्ति में विनिर्दिष्ठ की जाए।

6. नियम 5 के अधीन अनुज्ञप्ति की शर्तें - नियम 5 के अधीन अनुदत्त प्रत्येक अनुज्ञप्ति निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन होगा, अर्थात् :-

(क) अनुज्ञप्ति अन्तरणीय नहीं होगी :

परन्तु जब कोई अनुज्ञप्तिधारी अपना कारोबार अन्य व्यक्ति को अन्तरित करता है, तब प्ररूप I में आवेदन किए जाने पर नियम 5 में वर्णित बातों को ध्यान में रखते हुए, अनुज्ञप्ति देने वाले अधिकारी द्वारा अन्तरिती को अन्तरक की अनुज्ञप्ति

के अनवसित अवधि के लिये, अनुज्ञप्ति शुल्क दिए बिना, नई अनुज्ञप्ति दी जा सकेगी :

परन्तु यह और भी कि जब कि कोई अनुज्ञप्तिधारी मर जाता है, तो उस व्यक्ति को, जिसका मृतक अनुज्ञप्तिधारी के अनुज्ञप्त परिसरों पर वास्तविक कब्जा है तब प्ररूप I में आवेदन करने पर नियम 5 में वर्णित बातों को ध्यान में रखते हुए अनुज्ञप्ति देने वाले अधिकारी द्वारा मृतक अनुज्ञप्तिधारी की अनुज्ञप्ति के अनवसित अवधि के लिये अनुज्ञप्ति शुल्क के संदाय के बिना नई अनुज्ञप्ति दी जा सकेगी :

टिप्पणी - द्वितीय परन्तुक के अधीन नई अनुज्ञप्ति के अनुदान के बारे में यह नहीं समझा जायेगा कि वह मृतक अनुज्ञप्तिधारी के कारबार या कारबार के परिसरों पर किसी अन्य व्यक्ति के ऐसे अधिकारों पर, जिनका ऐसा अन्य व्यक्ति विधिपूर्वक हकदार हो, प्रभाव डालता है,

(ख) जब कोई अनुज्ञप्तिधारी अपनी अनुज्ञप्ति के अन्दर आने वाले कारबार के बारे में भागीदारी में प्रवेश करता है, तो वह ऐसी भागीदारी में प्रवेश करने के तीन दिन के अंदर अनुज्ञापन अधिकारी को उस तथ्य के बारे में रिपोर्ट देगा अपनी अनुज्ञप्ति को यथोनित रूप से संशोधित कराएगा और तदुपरि अनुज्ञप्तिधारी और उसका भागीदार अनुज्ञप्ति की शर्तों द्वारा आबद्ध होंगे।

(ग) जब कोई फर्म जिसके बारे में कोई अनुज्ञप्ति अनुदत्त की जाती है, विघटित हो जाती है, तो प्रत्येक व्यक्ति, जो विघटन से ठीक पूर्व उस फर्म का भागीदार था, ऐसे विघटन से दस दिनों के अंदर अनुज्ञापन अधिकारी को उसके बारे में रिपोर्ट भेजेगा।

(घ) जब अपनी अनुज्ञप्तिधारी एक से अधिक स्थान पर अपना कारबार करता है, तो वह प्रत्येक स्थान के लिये पृथक से अनुज्ञप्ति अभिप्राप्त करेगा।

(ङ) जब अपनी अनुज्ञप्ति के चालू रहने के दौरान कोई अनुज्ञप्तिधारी अपने कारबार के स्थान का स्थानान्तरण किन्हीं नये परिसरों को करना चाहता है तो वह अपने ऐसे आशयों की सूचना उस तारीख से कम से कम 15 दिन पहले अनुज्ञापन अधिकारी को देगा जिससे वह अपने कारबार के परिसरों का स्थानान्तरण प्रस्थापित करता है तथा उसमें नये परिसर का पता विनिर्दिष्ट करेगा और अपनी अनुज्ञप्ति को यथोचित रूप से संशोधित करवाएगा और तदुपरि ऐसी अनुज्ञप्ति उसके कारबार के नये परिसर के संबंध में विधिमान्य होगी।

(च) यदि अनुज्ञापन आफिसर द्वारा ऐसा अपेक्षित किया जाता है तो अनुज्ञप्तिधारी अनुज्ञापन अधिकारी के फोटोग्राफर को अपने कब्जे के पुरावशेषों का फोटोचित्र लेने देगा।

(छ) अनुज्ञप्तिधारी अपने परिसर पर अपनी अनुज्ञप्ति को विशेष रूप से प्रदर्शित करेगा।

(ज) अनुज्ञप्तिधारी प्ररूप III में उस मास के जिसके बारे में विवरणी है, समाप्ति के 15 दिन के अंदर पुरावशेषों के विक्रय और अर्जन के बारे में मासिक विवरणी अनुज्ञापन अधिकारी को देगा और वह ऐसे समय के अंदर जिसे अनुज्ञापन अधिकारी विनिर्दिष्ट करे, मांग पर ऐसे अभिलेखों को पेश करेगा।

(झ) जब अधिनियम के अधीन किसी अनुज्ञप्ति को प्रतिसंहृत या निलम्बित किया जाता है तो ऐसे प्रतिसंहरण या निलम्बन के लिये अनुज्ञप्तिधारी न तो किसी प्रतिकर का हकदार होगा और न अपनी अनुज्ञप्ति के बारे में दी गई किसी राशि की वापसी के लिये दावा करने का हकदार ही होगा।

7. धारा 9 की उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञप्ति का नवीनीकरण- अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अपनी अनुज्ञप्ति के नवीकरणं के लिये आवेदन किए जाने पर और पचास रुपये शुल्क के रूप में संदत्त किये जाने पर अनुज्ञप्ति को ऐसी अतिरिक्त अवधि के लिये नवीकृत किया जा सकेगा, जो तीन वर्ष से अधिक न हो जैसा अनुज्ञापन आफिसर उचित समझे।

8. अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अभिलेखों, फोटोचित्रों और रजिस्टर का रखा जाना - प्रत्येक अनुज्ञप्तिधारी निम्नलिखित अभिलेख रखेगा अर्थात् :-

(क) प्रत्येक प्रवर्ग के पुरावशेष के लिये जिसके विक्रय करने और उस की प्रस्थापना के कारबार के लिये कोई प्राधिकृत किया गया है प्ररूप IV में पृथकतः पुरावशेषों और बहुमूल्य कलाकृतियों का एक रजिस्टर रखेगा, और

(ख) पुरावशेषों के प्रत्येक प्रवर्ग के लिये पृथकतः फोटो अलबम रखेगा जिनमें कम से कम पोस्टकार्ड के आकार के स्पष्ट फोटोचित्र होंगे तथा जो उस पर चिपकाए गए होंगे और उनके साथ एक खुला फोटोचित्र होगा जिस पर उसके रजिस्टर का संख्यांक होगा।

9. धारा 12 के अधीन घोषणा का प्रारूप तथा वह अवधि जिसके अन्दर इसे किया जाना है- ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जिसकी अनुज्ञप्ति धारा 12 के अधीन प्रतिसंहृत की गई है, अनुज्ञापन अधिकारी के समक्ष :

(क) अपनी अनुज्ञप्ति के प्रतिसंहरण से 15 दिन के अंदर प्ररूप V में एक घोषणा करेगा,

(ख) अपनी अनुज्ञप्ति प्रतिसंहरण की तारीख से छह मास की अवधि के ठीक पश्चात् प्ररूप VI में एक घोषणा करेगा।

10. अनुज्ञप्ति का संशोधन - अनुज्ञापन आफिसर द्वारा या तो स्वेच्छा से या अनुज्ञप्ति - धारी द्वारा उस निमित्त किये गए आवेदन पर, किसी अनुज्ञप्ति को परिवर्तित या संशोधित किया जा सकेगा :

परन्तु अनुज्ञापन अधिकारी द्वारा स्वेच्छा से तब तक कोई संशोधन या परिवर्तन नहीं किया जाएगा जब तक कि उस मामले में अनुज्ञप्ति धारी को युक्तियुक्त अवसर प्रदान नहीं किया गया है।

11. धारा 16 के अधीन रजिस्ट्रीकरण के प्रमाण पत्र के लिये आवेदन - (1) धारा 16 के अधीन रजिस्ट्रीकरण के प्रमाण पत्र के लिये प्रत्येक आवेदन प्ररूप VII में उस क्षेत्र पर अधिकारिता प्राप्त अनुज्ञापन अधिकारी को किया जायेगा जिसमें आवेदक निवास करता है।

(2) ऐसे प्रत्येक आवेदन के साथ प्रत्येक पुरावशेष की जो आवेदक के कब्जे में है पोस्टकार्ड या बड़े आकार की तेज संगम वाले फोटो चित्र की चार प्रतियां होंगी और यदि रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा ऐसा अपेक्षित किया जाता है तो ऐसे पुरावशेषों के भिन्न या और रूपों के फोटोचित्र भी उतनी ही संख्या में होंगे।

12. धारा 16 के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र का प्ररूप - धारा 16 के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र प्ररूप VIII में अनुदत्त दिया जाएगा।

13. स्वामित्व का अन्तरण - जब कोई व्यक्ति किसी रजिस्ट्रीकृत पुरावशेष के स्वामित्व, नियंत्रण का कब्जा का अन्तरण किसी अन्य व्यक्ति को करता है तो अन्तरण की तारीख से पन्द्रह दिन के अंदर अन्तरक द्वारा प्ररूप में अन्तरण की सूचना उस क्षेत्र पर जहां अन्तरक निवास करता है, अधिकारिता रखने वाले रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को तथा उन क्षेत्रों पर जहां अन्तरिती निवास करता है, अधिकारिता रखने वाले रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को देगा।

14. अनुज्ञापन अधिकारी या रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के किसी विनिश्चय के विरुद्ध अपील - ऐसा व्यक्ति, जो धारा 8 या 9 या धारा 11 के अधीन अनुज्ञापन अधिकारी के किसी विनिश्चय या धारा 16 के अधीन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के विनिश्चय से व्यथित है, वह उस तारीख से जिसको विनिश्चय की सूचना दी जाती है, तीन दिन के अंदर महानिदेशक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को अपील कर सकेगा।

प्ररूप I

पुरावशेष़ों के विक्रय या विक्रय की प्रस्थापना करने के कारबार के बारे में अनुज्ञप्ति के लिये आवेदन

[नियम 4 देखिए]

* 1. आवेदक/आवेदकों का नाम और पता

** 2. शाखाओं या उनके संपार्श्विकों सहित फर्म के नाम और पता और अन्य नाम (उपनाम) और पते जो पिछले दस वर्षों में रहे हों।

3. उन भागीदारों, यदि कोई हों, के नाम और पते, जिनमें कुटुम्ब के वे वयस्क सदस्य सम्मिलित होंगे जिनका कारबार में कोई हित है या अंश है।

4. शोरूम या विक्रय परिसर के पते।

5. सभी गोदामों और निक्षेपागारों के पते जिनमें घटकों के निवासीय परिसर भी सम्मिलित हैं।

6. अपने अनुभव का ब्यौरा देते हुए वह अवधि जिसके दौरान आवेदक कारबार करता रहा है।

7. क्या आवेदक/फर्म (सभी संघटकों के व्ययष्टितः और संयुक्ततः सम्मिलित करते हुए) को पुरावशेष (निर्यात नियंत्रण) अधिनियम, 1947 के अधीन दण्डनीय किसी अपराध के लिये या पुरावशेषों की चोरी या तस्करी के किसी अन्य मामले में सिद्धदोष किया गया है यदि ऐसा है तो उसके ब्यौरे दिये जायेंगे।

8. क्या आवेदक/फर्म (व्ययष्टितः या संयुक्ततः सभी संघटकों को सम्मिलित करते हुए) पुरावशेष (निर्यात नियंत्रण), अधिनियम 1947 के उल्लंघन या पुरावशेष या बहुमूल्य कलाकृति का चोरी के बारे में अभियोजन/अन्वेषण/जांच के अधीन है।

9. क्या आवेदन की तारीख तक का सारा स्टाक आवेदक के रजिस्टर में दर्ज कर दिया गया है।

10. जिला और राज्य सहित वे ग्राम, कस्बा या नगर जहां आवेदक कारबार करने का आशय रखता है।

11. प्रकृति, अर्थात् उन पुरावशेषों के प्रकारों के ब्यौरे जिनमें आवेदक संव्यवहार करना चाहता है जैसे कि पाषाण मूर्तियां, धातु की वस्तुएं, काष्ठ की वस्तुएं, सिक्के, रंगचित्र, आभूषण तथा उसी प्रकार की अन्य वस्तुएं।

12. कब्जे में उन सभी वस्तुओं की प्रवर्ग के अनुसार सूची जिनके बारे में आवेदक ने यह दावा किया है कि वे उनके पास पुरावशेष हैं जिनमें वे वस्तुएं भी आती हैं जो रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के यहां रजिस्ट्रीकृत हो गई हैं।

13. अनुज्ञप्ति शुल्क के जमा होने का सबूत अर्थात् सौ रुपये का खजाने का चालान जो संख्या .... ता. .... वाला है और लेखा संख्या .... को संदेय होगा, संलग्न किया जाएगा।

14. मैं घोषणा करता हूं कि उपरोक्त सूचना मेरे उत्तम ज्ञान और विश्वास के आधार पर शुद्ध और पूर्ण है। मैं/हम यह वचन भी देते हैं कि मैं/हम पुरावशेष तथा बहुमूल्य कलाकृति अधिनियम, 1972 के उपबन्धों और तद्धीन बने नियमों का पालन करूंगा/करेंगे। मैं पूर्व वर्ष (19 ...... **19......) के लिये आय-कर प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति तथा कारबार स्थापन की रजिस्ट्रीकरण संख्या भी संलग्न करता हूं। मैं यह वचन भी देता हूं कि पते के किसी परिवर्तन या नये गोदाम के अर्जन के बारे में सूचना एक सप्तांह के अंदर दूंगा मैं यह वचन भी देता हूं कि मैं ऐसे अभिलेख, फोटोचित्र और रजिस्टर रखूंगा और अपने खर्चे पर ऐसी विशिष्टियां और फोटोचित्रों सहित जो नियम के अधीन अपेक्षित किए जाएं, कालिक विवरणियां प्रस्तुत करूंगा। मैं यह वचन भी देता हूं कि मैं प्रत्येक अभिलेख, फोटोचित्र और रजिस्टर जो इस संबंध में रखे गये हैं, अनुज्ञापन अधिकारी या इस निमित्त अनुज्ञापन अधिकारी द्वारा लिखित रूप में प्राधिकृत सरकार के किसी अन्य राजपत्रित आफिसर के निरीक्षण के लिये उपलब्ध करूंगा।

आवेदक का नाम और

संगठन की मोहर

हस्ताक्षर

स्थान ....

तारीख ....

---

* पते में कोई परिवर्तन अनुज्ञापन अधिकारी को शीघ्र (विस्थापन के एक सप्ताह के अंदर) सूचित किया जाए।

** कार्यालय की मोहर सहित राजपत्रित अधिकारी द्वारा अनुप्रमाणित किया जाए।

प्ररूप II

अनुज्ञप्ति संख्या

जारी करने की तारीख

पुरावशेषों के विक्रय या विक्रय की प्रस्थापना के कारबार करने के लिये अनुज्ञप्ति

[नियम 5 (1) देखिए]

अन्तरणीय

यतः ....पुत्र.................................... (पता) ने पुरावशेषों के विक्रय या विक्रय की प्रस्थापना करने के कारबार करने के बारे में अनुज्ञप्ति के लिये आवेदन किया है और पुरावशेष तथा बहुमूल्य कलाकृति अधिनियम, 1972 के उपबंधों और तद्धीन बने नियमों का पालन करने के लिये वचन दिया है कि तथा नियमों द्वारा यथा अपेक्षित एक सौ रुपये की राशि जमा कर दी है।

मैं .... अनुज्ञापन अधिकारी, पुरावशेष तथा बहुमूल्य कलाकृति नियम 1973 के नियम, 5 के उपनियम (1) के अधीन अनुज्ञप्ति अनुदत्त करता हूं जो .... तारीख से लेकर वर्षों की अवधि के लिये होगी।

अनुज्ञप्ति उक्त अधिनियम के उपबन्धों तथा नियमों के अधीन अनुदत्त की जाती है और वह निम्नलिखित शर्तों की अधीन भी होगी:

(1) तदनुकूल अनुज्ञप्तिधारी केवल पुरावशेषों के निम्नलिखित प्रवर्गों में संव्यवहार करेगा। वह क्षेत्र जहां कारबार किया जाएगा-

(1)	(5)
(2)	(6)
(3)	(7)
(4)	(8)

में होगी।

हस्ताक्षर

कार्यालय की मोहर

नाम

स्थान .... **तारीख** .... **अनुज्ञापन अधिकारी (पदनाम)**

पुरावशेष तथा बहुमूल्य कलाकृति नियम, 1973

प्ररूप III

फर्म (अनुज्ञप्तिधारी) का नाम.........

पुरावशेषों के विक्रय आ अर्जन के बारे में मासिक विवरणी

[नियम 6 (ज) देखिए]

--------- मास के लिये

1. क्रम संख्या (रजिस्टर) में
2. फोटोचित्र सहित वस्तु का वर्णन
*3. उस व्यक्ति का पता जिस को विक्रय किया गया है।

(1) क्रम संख्या (रजिस्टर में)
(2) फोटो चित्र सहित वस्तु का वर्णन
(3) उस व्यक्ति का पता जिसे अर्जन किया गया है

संगठन की मोहर

** अनुज्ञप्तिधारी के हस्ताक्षर

तारीख ....

स्थान ....

---

* उन विदेशियों की राष्ट्रीयता जिन्हें कोई पुरावशेष विक्रय किया गया है साथ ही भारत में और स्वदेश में उनके पते तथा पासपोर्ट संख्या अंकित की जानी चाहिए।

** किसी फर्म की दशा में, संगठन अध्यक्ष के हस्ताक्षर।

पुरावशेष तथा बहुमूल्य कलाकृति नियम, 1973

प्ररूप IV

पुरावशेषों का रजिस्टर

[नियम 8 (क) देखिए]

पुरावशेष जैसे कि पाषाण मूर्तियां/मिट्टी की मूर्तियां/धातु की वस्तुएं/हड्डी और हाथी दांत की वस्तुएं/आभूषण/काष्ठ मूर्तियां/ मोहरें/ पदक/सिक्के/रंगचित्र, हस्त लेख और वस्त्र।

1	2	3	4	5
क्रम. संख्या	वस्तुओं की पहचान और वर्णन	सामग्री	आकार	लगभग आय

6	7	8
अर्जन की तारीख	अर्जन के स्रोत जिसमें उस व्यक्ति/फर्म का नाम सम्मिलित होगा जिससे अर्जन किया गया है तथा उसका पता	अर्जन की पद्धति

9	10	11
अर्जन के लिये संदत्त मूल्य	रजिस्ट्रीकरण संख्या	यदि रजिस्ट्रीकृत है तो उसकी तारीख

12	13*
यदि कोई विक्रय हुआ है तो उसकी तारीख	उस व्यक्ति या फर्म का, जिसको विक्रय किया गया है, नाम और पता

14	15	16	17
वह स्थान जहां वस्तु रखी गई है	फोटो अलबम संख्या के प्रति निर्देश	फोटो संख्या और पृष्ठ	6x6 सेंटीमीटर के फोटो चित्र
			(रजिस्टर पर चिपकाए जाएंगे)

* विदेशी की दशा में उसका भारत में और स्वदेश में पता तथा पासपोर्ट संख्या भी अंकित की जानी चाहिए।

पुरावशेष तथा बहुमूल्य कलाकृति नियम 1973

प्रारूप V

(ऐसे अनुज्ञप्तिधारी द्वारा जिसकी अनुज्ञप्ति का प्रतिसंहत कर लिया गया है, पुरावशेषों के स्टाक के बारे में घोषणा)
(प्रति-संहण के 15 दिन के अंदर की जाएगी)

(नियम 9 (क) देखिए)

वस्तुओं की विशिष्टियां

(प्रवर्ग के अनुसार)

1 रजिस्टर में क्रम संख्या	2 वस्तु की पहचान और वर्णन	3 सामग्री	4 आकार

5 लगभग आयु	6 यदि रजिस्ट्रीकृत है तो उसकी तारीख	7 रजिस्ट्रीकरण संख्या

संगठन की मोहर

अनुज्ञप्तिधारी के हस्ताक्षर

स्थान ....

फर्म का नाम

तारीख ....

अनुज्ञप्ति संख्या

पुरावशेष तथा बहुमूल्य कलाकृति नियम, 1973

प्रारूप VI

ऐसे अनुज्ञप्तिधारी द्वारा जिसकी अनुज्ञप्ति का प्रतिसंहरण हो गया है, पुरावशेषों के स्टाक की घोषणा।
(प्रतिसंहरण की तारीख से छह मास की कालावधि के अवसान के ठीक पश्चात् छह मास के अंदर की जाएगी)

[नियम 6 (ख) देखिए]

विक्रय की गई वस्तुओं की विशिष्टियां

(प्रवर्ग के अनुसार)

1	2	3	4	5
रजिस्टर में क्रम संख्या	फोटोचित्र सहित वस्तु का वर्णन	जिस अनुज्ञप्ति फर्म अनुज्ञप्तिधारी को विक्रय किया गया है उसका नाम और पता	विक्रय की तारीख	वह मूल्य जिस पर विक्रय किया गया है

संगठन की मोहर

स्थान

तारीख

अनुज्ञप्ति धारी के हस्ताक्षर

फर्म का नाम

अनुज्ञप्ति संख्या

पुरावशेष तथा बहुमूल्य कलाकृति नियम 1973

प्ररूप VII

पुरावशेषों के रजिस्ट्रीकरण के लिये आवेदन

(नियम 11 देखिए)

1. आवेदक (व्यक्ति या फर्म) का नाम
2. आवेदक (व्यक्ति या फर्म) का पता
3. पोस्टकार्ड के आकार में फोटो चित्र की चार प्रतियां सहित वस्तु की पहचान और वर्णन।
4. सामग्री
5. आकार
6. लगभग तारीख
7. अर्जन का स्रोत
8. जबकि आवेदक ऐसे किसी पुरावशेष का जो पहले से ही अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत हैं स्वामित्व, नियंत्रण या कब्जा पा लेता है, तो ऐसे पुरावशेष के रजिस्ट्रीकरण संख्या और रजिस्ट्रीकरण अधिकारी का नाम जिसने उसे रजिस्ट्रीकृत किया है।
9. अर्जन की तारीख
10. अर्जन का ढंग
11. दिया गया मूल्य यदि कोई हो
12. (क) वर्तमान अवस्थान और
    (ख) परिरक्षण और सुरक्षा की शर्तें
13. यदि अधिनियम के अधीन पुरावशेष पहले से ही रजिस्ट्रीकृत है तो क्या उसका रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र संलग्न है।

मैं घोषणा करता हूं कि उपरोक्त सूचना मेरे उत्तम ज्ञान और विश्वास के आधार पर सत्य और पूर्ण है। मैं यह भी वचन देता हूं कि मैं पुरावशेष और बहुमूल्य कलाकृति अधिनियम, 1972 के उपबंधों और उद्धीन बने नियमों का पालन करूंगा।

संगठन की मोहर **हस्ताक्षर**

स्थान ....

तारीख .... **आवेदक का नाम**

---

1. यदि आवेदन किसी संगठन की ओर से है, तो उसका नाम देना चाहिए।
2. यदि आवेदन किसी संगठन की ओर से है, तो उस संगठन के अध्यक्ष के हस्ताक्षर होने चाहिए।

पुरावशेष तथा बहुमूल्य कलाकृति नियम 1973

प्ररूप VIII

पुरावशेष का रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण पत्र

(नियम 12 देखिए)

यतः .... निवासी .... ने नीचे वर्णित पुरावशेष/ पुरावशेषों के रजिस्ट्रीकरण के लिये आवेदन किया है और यह वचन दिया है कि वह पुरावशेष तथा बहुमूल्य कलाकृति अधिनियम, 1972 के उपबंधों और तद्धीन बने नियमों का पालन करेगा।

मैं .... रजिस्ट्रीकरण आफिसर .... (स्थान) उक्त .... को नीचे वर्णित वस्तु के लिये उक्त अधिनियम की धारा 16 के अधीन यह प्रमाण पत्र को अनुदत्त करता हूं जिसके साथ अधिप्रमाणीकृत फोटोचित्र होंगे।

1. वस्तु का नाम
2. सामग्री
3. आकार (ऊंचाई और चौड़ाई)
4. लगभग तारीख
5. अवस्थान

यह प्रमाणित उक्त अधिनियम के उपबन्धों तथा तद्धीन बने नियमों के अधीन अनुदत्त किया जाता है तथा यह इस शर्त के अध्यधीन भी होगा कि जब पुरावशेष के रजिस्ट्रीकरण क्षेत्र से किसी दूसरे अवस्थान को परिवर्तन होता है या उसका विक्रय होता है तो इस तथ्य के बारे में स्वामी द्वारा रजिस्ट्रीकरण आफिसरों को संसूचित किया जाना चाहिए जिसमें उस व्यक्ति/फर्म का नाम और पता होंगे, जिसका विक्रय किया गया है या दान दिया गया है।

कार्यालय की मोहर

हस्ताक्षर

स्थान ....

रजिस्ट्रीकरण आफिसर का नाम

तारीख ....

पदाभिधान

पुरावशेष तथा बहुमूल्य कलाकृति नियम 1973

प्रारूप IX

स्वामित्व का अन्तरण

(नियम 13 देखिए)

1	2	3	4
स्वामियों के नाम	स्वामी का पता	रजिस्ट्रीकरण संख्या	क्रम संख्या

5	6	7	8
रजिस्टर में क्रम संख्या	वस्तु का नाम	रजिस्ट्रीकरण संख्या	सामग्री

9	10	11	12
आकार	प्रस्थापित मूल्य	X फर्म या व्यक्ति जिसकी विक्रय किया गया है	क्रेता का पता

हस्ताक्षर

स्थान............................

स्वामी का नाम

तारीख..................